

This stupendous work can be achieved only with the help and assistance of the Union Government. I urge upon the Government to come in a big and earnest way to help the State achieve this mammoth project to usher in an era of economic upsurge and welfare and happiness of the people of Andhra Pradesh.

(V) EXPLOITATION OF WORKERS ENGAGED IN NITRE (SHORA) INDUSTRY

श्री बी० डी० सिंह : (फूलपुर) :
अध्यक्ष महादय, नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित कथन देना चाहता हूँ :—

हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान प्रदेशों में लाखों की संख्या में लोग शोरा निकालने का काम करते हैं। ये लोग नकल, धीन एवं असंगठित श्रमिक हैं। हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, करनाल, हिसार, सिरसा तथा अम्बाला आदि जिलों में यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कार्य में लगे लोगों का पूंजीपतियों द्वारा अनेक प्रकार से शोषण होता है। शोरा निकालने की भूमि का ठेका प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में सरकार द्वारा सीधे उन पूंजीपतियों को दे दिया जाता है जो शोरा के शोधन का कार्य करते हैं। शोरगर श्रमिक को इन उद्योगपतियों द्वारा शोरा निकालने का ठेका दिया जाता है। शोरगर श्रमिक ग्रीष्म ऋतु की भयंकर लू और शीत ऋतु की कड़कती ठण्ड में अपने परिवार सहित कठिन परिश्रम करके शोरा तैयार करते हैं परन्तु उसका लाभ उद्योगपति उठाता है। श्रमिकों को अपने परिश्रम का मात्र एक चौथाई अंश प्राप्त होता है, जबकि पूंजीपति तीन-चौथाई अंश हड़प कर जाता है। शोरगर श्रमिकों का यह शोषण सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है।

मैं सरकार से सविनय आग्रह करूंगा कि इन गरीब परिवारों की राहत के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जायें। भूमि का ठेका पूंजीपतियों को न देकर सीधे श्रमिकों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से दिया जाय। इन श्रमिकों के पास जीविकोपार्जन के लिये कोई अन्य साधन नहीं है। इन श्रमिकों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाय और उन्हें लघु-उद्योग की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, बैंकों से आवश्यक आर्थिक सहायता समुचित ब्याज पर दी जानी चाहिये। श्रमिक समितियों को भूमि का ठेका पांच वर्ष अथवा अधिक लम्बी अवधि के लिए स्थायी तौर पर दिया जाय जिससे श्रमिक एक स्थान पर स्थायी तौर से रहकर अपने बच्चों की शिक्षा आदि की भी कुछ व्यवस्था कर सकें। शोरे की तोल का भी कुछ गलत तरीका इस्तेमाल होता है। पूंजीपति 110 किलोग्राम को 1 क्विंटल मानकर क्रय करता है। अनुबन्ध के नाम पर सादे कागज पर अशिक्षित तथा अनभिज्ञ श्रमिकों का हस्ताक्षर कराकर उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है और भविष्य में दसियों वर्ष तक उसी पूंजीपति के साथ काम करने को वे बाध्य हो जाते हैं।

अतएव एक जांच समिति के द्वारा शोरे उद्योग की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिये तथा इसमें आवश्यक सुधार करके शोरगर श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये

(vi) STEPS FOR A BREAKTHROUGH IN FISH CULTURE ENTERPRISES, PARTICULARLY IN TAMIL NADU.

SHRI CUMBUM N. NATARAJAN (Periyakulam) : India with a population of 68.5 crores is in a steadily worsening state of